

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-181

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

ग्रिड में आने वाली खराबी को रोकने के लिए
सुरक्षा योजना

*181. श्री टी. के. रंगराजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रिड में आने वाली खराबी को रोकने के लिए कोई सुरक्षा-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत ग्रिडों के कुशल कार्यकरण पर निगरानी रखने हेतु उठाये गये क्रमशः प्रशासनिक एवं तकनीकी कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

ग्रिड में आने वाली खराबी को रोकने के लिए सुरक्षा योजना के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 181 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : जी, हाँ । केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा जारी किए गए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) में ग्रिड की खराबी को रोकने के लिए विद्युत ग्रिडों के कुशल कार्यकरण की निगरानी हेतु सुरक्षा योजना सहित प्रशासनिक एवं तकनीकी कदमों का ब्यौरा निहित है। विभिन्न रक्षा योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित ग्रिड प्रचालन के लिए आईलैंडिंग स्कीमें, अंडर फ्रीक्वेंसी रिले, विशेष सुरक्षा स्कीमें और स्वचालित मांग प्रबंधन स्कीमें शामिल हैं । आईईजीसी के अनुसार, अन्तरक्षेत्रीय ग्रिडों के समग्र प्रचालन का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) द्वारा किया जाता है और क्षेत्रीय ग्रिडों के प्रचालन का पर्यवेक्षण क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसी) द्वारा किया जाता है ।

(ग) : एनएलडीसी / आरएलडीसी के कार्यकरण के लिए निधियां, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 के अनुसार विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों से एकत्र की जाती हैं । साथ ही, हाल ही में प्रचालन में लाई गई विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) का भी ग्रिड की सुरक्षा हेतु विभिन्न सुरक्षा स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्रयोग किया जाएगा ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-183

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत संकट

*183. श्रीमती नाज़नीन फारुख:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में विद्युत संकट के कारणों का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उन कारणों को विशेष रूप से असम में, दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) क्या लगभग 42,000 मेगावाट की विद्युत संयंत्र क्षमता निर्मित की गई है और ये संयंत्र चालू होने हेतु तैयार हैं परंतु ईंधन की कमी है और यदि हां, तो इन्हें चालू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या उपाय किए गये हैं; और
- (ग) क्या अवसंरचना के अभाव और टरबाईन, बॉयलर्स और जेनेरेटरों जैसे उपकरणों की कमी देश में विद्युत संकट की एक अन्य बड़ी बाधा है, यदि हां, तो विद्युत संकट को दूर करने के लिए अवसंरचना तैयार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विद्युत संकट के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 183 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : विद्युत की कमी के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) कुछ विद्युत संयंत्रों में ईंधन की कमी के कारण कम उत्पादन।
- (ii) कुछ ताप विद्युत उत्पादक इकाइयों में निम्न संयंत्र भार कारक।
- (iii) पारेषण और वितरण में बाधाएं।
- (iv) कुछ क्षेत्रों में कमजोर मानसून के कारण कम जल विद्युत उत्पादन।
- (v) राज्य डिस्कामों की उच्च सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियां।
- (vi) राज्य यूटिलिटीयों की खराब वित्तीय स्थिति से उनके लिए पर्याप्त उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणाली के सृजन के लिए अपेक्षित निवेश करने हेतु आवश्यक संसाधनों को जुटाना कठिन हो रहा है। कई बार राज्य यूटिलिटीयों वित्तीय कठिनाइयों के कारण विद्युत की खरीद करने में भी असमर्थ रहती हैं।

असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के राज्यों को बेहतर विद्युत उपलब्ध कराने में सहायक निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं -

- (i) पूर्वोत्तर में, त्रिपुरा में पल्लातना गैस आधारित विद्युत संयंत्र (जीबीपीपी) (2x363 मेगावाट) के दोनों माइयूल्स, असम में एनटीपीसी के बोंगाईगांव ताप विद्युत केंद्र (3x250 मेगावाट) तथा त्रिपुरा में नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) के मोनार्चक जीबीपीएस (104 मेगावाट), सुबानसिरी और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के चालू होने से असम सहित एनईआर की विद्युत आपूर्ति की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।
- (ii) पूर्वी क्षेत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र तक विद्युत के आयात को सुविधाजनक बनाने हेतु पावरग्रिड द्वारा बनाई जा रही मालदा-फरक्का-जीरत कारीडोर लाइन का सुदृढीकरण।
- (iii) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अन्तर्गत असम के लिए 840 करोड़ रूपए की लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु लगभग 274 करोड़ रूपए का संवितरण पहले ही किया जा चुका है।

देश में विद्युत की कमी पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अन्य कदम उठाए जा रहे हैं-

- (i) पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 30,000 मेगावाट के प्रस्तावित लक्ष्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तेजी लाना।
- (ii) विद्युत की निकासी हेतु अन्तरराज्यीय तथा अन्तरक्षेत्रीय पारेषण क्षमता को सुदृढ करने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाना।
- (iii) उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों को सुदृढ करने तथा कृषि फीडर्स को पृथक करने के लिए इस वर्ष के बजट में एक नई स्कीम घोषित की गई है। यह पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी), जिसके अन्तर्गत राज्यों के सहयोग से मौजूदा वितरण नेटवर्क का उन्नयन कार्य किया जाता है, वर्तमान स्कीम के अतिरिक्त है।

- (iv) क्रियान्वयन के अधीन विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण एवं वन मंजूरीयों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान करना।
- (v) ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा बढ़ाए गए उत्पादन के लिए स्वदेशी कोयले की उपलब्धता की कमी को कोयले के आयात के माध्यम से पूरा करना।
- (vi) घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए कोयले को ई-नीलामी से हटाना।
- (vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना।

(ख) : 42,350 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों में से 24,190 मेगावाट क्षमता के संयंत्र गैस आधारित हैं, जो कि घरेलू गैस की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई में हैं। शेष में से, 7230 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल क्षमता पहले ही चालू है, और 10,930 मेगावाट की अन्य क्षमता (जिसमें लिंकड कोल ब्लॉक माइनिंग में विलम्ब के कारण टेपरिंग लिंकेज की अपेक्षा वाली 4,220 मेगावाट क्षमता शामिल है) के मार्च, 2015 तक चालू होने की संभावना है और इनके पास कोल लिंकेज नहीं है। इन संयंत्रों को ईंधन उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) : ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए, अवसंरचना अथवा उपस्करों की उपलब्धता से संबंधित कोई बड़ी समस्या नहीं है। तथापि, जहां तक जल विद्युत परियोजनाओं का प्रश्न है, ये सामान्यतया पर्वतीय और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जहां परियोजना स्थल तक संयंत्र और मशीनरी ले जाने हेतु सड़कों तथा पुलों जैसी आधारभूत अवसंरचना संबंधी सुविधाओं को विकसित किया जाना अपेक्षित होता है। राज्य सरकारें और परियोजना विकासकर्ता जल विद्युत परियोजनाओं की जरूरतों के अनुसार अपेक्षित अवसंरचना सुविधाएं तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-188

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

टिहरी-हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ
इंडिया लिमिटेड में उत्तराखंड की हिस्सेदारी

*188. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) टिहरी-हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उत्तराखण्ड में कहां-कहां जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर रहा है तथा स्थापित करने का विचार रखता है और संबद्ध कंपनियां कौन-कौन सी हैं;
- (ख) वर्तमान समय में टिहरी-हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में राज्य सरकार की निश्चित हिस्सेदारी की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उत्तराखण्ड राज्य बनने से पहले टिहरी-हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश के बीच हिस्सेदारी का अनुपात निश्चित कर दिया गया था;
- (घ) यदि हां, तो क्या राज्य बनने के बाद उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी उत्तराखण्ड को हस्तांतरित कर दी गई थी; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

टिहरी-हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड में उत्तराखण्ड की हिस्सेदारी के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 188 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : उत्तराखण्ड में टीएचडीसीआईएल द्वारा विकसित / विकास हेतु प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में है।

(ख) : निगमीकरण के समय टीएचडीसीआईएल में निर्धारित हिस्से का प्रतिशत जो अभी तक जारी है, इस प्रकार है:

भारत सरकार	-	75%
उत्तर प्रदेश सरकार	-	25%

(ग) : जी हाँ, टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश के बीच इक्विटी का प्रतिशत हिस्सा उत्तराखण्ड के सृजन से पूर्व निर्धारित किया गया था ।

(घ) और (ड) : टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) में उत्तर प्रदेश का हिस्सा उत्तराखण्ड के गठन के बाद उसको हस्तान्तरित नहीं किया गया था क्योंकि यह उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 47(3) के तहत सम्भव नहीं था ।

टिहरी-हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड में उत्तराखण्ड की हिस्सेदारी के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

उत्तराखण्ड में टिहरी-हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा विकसित/विकास हेतु प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाएं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम / स्थान (जिला)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	संबद्ध कंपनियां
प्रचालनरत परियोजनाएं			
1.	टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (एचपीपी), टिहरी	1000	यह परियोजना टीएचडीआईसीएल द्वारा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की 75:25 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी से स्वयं संवर्धित की गई है।
2.	कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एचईपी), टिहरी	400	-वही-
निर्माणाधीन परियोजनाएं			
3.	टिहरी पम्प स्टोरेज प्लांट (पीएसपी), टिहरी	1000	-वही-
4.	विष्णुगाड पीपलकोटि एचईपी, चमोली	444	-वही-
जांच अधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट			
5.	झेलम तमक एचईपी, चमोली	108	विस्तृत वित्त-पोषण व्यवस्था और टीएचडीसीआईएल से संबद्ध की जाने वाली संवर्धक कंपनियों, यदि कोई हों तो, के संबंध में निवेश अनुमोदन प्राप्त करते समय अंतिम निर्णय किया जाएगा।
सर्वेक्षण और अन्वेषण-अधीन परियोजनाएं			
6.	मलारी झेलम एचईपी, चमोली	65	-वही-
7.	कर्मोली एचईपी, उत्तरकाशी	140	-वही-
8.	जड़गंगा एचईपी, उत्तरकाशी	50	-वही-
9.	बोकंग बेलिंग एचईपी, पिथौरागढ़	330	-वही-

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-190

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

आंध्र प्रदेश में विद्युत की कमी

* 190. डॉ. के. वी. पी. रामचन्द्र राव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात् आंध्र प्रदेश में बिजली की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में विद्युत की कमी के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 190 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश का विभाजन 2 जून, 2014 से लागू हुआ है। माह जून, 2014 के दौरान विभाजित आंध्र प्रदेश में ऊर्जा एवं व्यस्ततम कमी क्रमशः 11.2% और 10.5% थी जबकि पिछले वर्ष में इसी माह (जून, 2013) के दौरान विभाजन से पूर्व आंध्र प्रदेश में वह क्रमशः 11.4% और 13.0% रही। इसलिए, आंध्र प्रदेश में विद्युत की कमी की स्थिति वही है, जो विभाजन से पूर्व थी।

(ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार / राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके और विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए उनसे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

केन्द्र सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने में आंध्र प्रदेश की सहायता करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के अनुरोध पर इंदिरा गांधी एसटीपीएस, झज्जर से आंध्र प्रदेश को 1 जुलाई, 2014 से 31 जुलाई, 2014 तक की अवधि के लिए 177 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन किया है।
- ii. दिनांक 30.06.2014 को 765 के.वी. रायचूर-शोलापुर अन्तरक्षेत्रीय लिंक के दूसरे सर्किट के चालू होने से दक्षिणी क्षेत्र को विद्युत अंतरण की क्षमता में लगभग 800 मेगावाट की वृद्धि हुई है जो अब आंध्र प्रदेश सहित दक्षिणी क्षेत्र के संघटकों के लिए सुरक्षा मार्जिन रखने के बाद विद्युत के अतिरिक्त आयात हेतु उपलब्ध है।
- iii. 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पारम्परिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य की योजना है। इसमें से दो भागों में बंटे आंध्र प्रदेश को 4,336 मेगावाट सुनिश्चित विद्युत मिलने की संभावना है।
- iv. आंध्र प्रदेश को बाजार से विद्युत की खरीद करने की सलाह भी दी गई है।
- v. आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा एक आयातित कोयला आधारित तटीय संयंत्र स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-195

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

झारखंड में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण
योजना का दायरा

*195. श्री प्रेम चन्द गुप्ता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या झारखंड में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला-वार कितनी धनराशि जारी की गई और कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है; और
- (ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आज की तिथि के अनुसार, कितने जिलों और गांवों का विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव है और इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

झारखण्ड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का दायरा के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014

को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 195 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : जी, हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 8,318 गैर-विद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण शामिल करते हुए झारखण्ड में 13 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई थीं। 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से 8050 गैर-विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण कार्य पूरे कर दिए गए हैं और इन परियोजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 1506.79 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। जिला-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के लिए 1260.93 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से 125 गैर-विद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण शामिल करते हुए 17 परियोजनाएं (17 जिलों में) स्वीकृत कर दी गई हैं।

अनुबंध

झारखण्ड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का दायरा के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 195 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

झारखण्ड राज्य में 10वीं योजना के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकरण और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी की गई सब्सिडी का जिला-वार विवरण

30.06.2014 की स्थिति के अनुसार				
क्रम सं.	जिला	गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण		जारी की गई सब्सिडी (रु. करोड़ में)
		कवरेज	उपलब्धि	
1	बोकारो	203	203	67.54
2	धनबाद	171	171	57.06
3	गुमला	749	748	134.97
4	कोडरमा	285	285	77.93
5	सिमडेगा	356	355	114.39
6	पूर्वी सिंहभूम	812	812	134.34
7	गड़वा	536	536	123.76
8	लातेहर	570	570	114.79
9	पलामू	1006	1006	162.57
10	सराईकेला - खरसवान	520	441	100.98
11	पश्चिमी सिंहभूम	1023	836	261.38
12	देवघर	1422	1422	88.69
13	जमतारा	665	665	68.38
	कुल	8318	8050	1506.79

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-199

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

दिल्ली में विद्युत-दर

*199. श्री डी. पी. त्रिपाठी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में विद्युत-दर में वृद्धि करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस दर पर अधिभार से बिल की राशि में भी काफी वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस अधिभार को बिलों से हटा देगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिल्ली में विद्युत दर के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 199 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में, प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आयोग को अधिकार देता है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) दिल्ली में बिजली का प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आयोग है।

डीईआरसी ने सूचित किया है कि आयोग द्वारा दिनांक 17.07.2014 को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रशुल्क अनुसूची जारी कर दी गई है। आयोग ने सभी तीनों वितरण कंपनियों - टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) के लिए 8.32% और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के लिए 9.52% की औसत प्रशुल्क वृद्धि अनुमोदित करते समय एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। तथापि, दूसरी ओर, डीईआरसी ने सूचित किया है कि 17 जुलाई, 2014 से संशोधित प्रशुल्क अनुसूची जारी होने पर बीआरपीएल के लिए 6%, टीपीडीडीएल के लिए 7% और बीवाईपीएल के लिए 8% विद्युत क्रय लागत समायोजन प्रभार (पीपीएसी) इस समय समाप्त कर दिया गया है। इस मुद्दे का इस आधार पर पुनः अवलोकन किया जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रशुल्क आदेश में अपनाई गई आधार दर की तुलना में जुलाई से सितम्बर की तिमाही में विद्युत की क्रय लागत बढ़ी है अथवा कम हुई है।

(ग) से (ड) : वितरण कंपनियों के राजस्व घाटे को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने टीपीडीडीएल, बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल और एनडीएमसी के लिए भी 8% का सरचार्ज जारी रखने का निर्णय लिया है। इस सरचार्ज से वर्तमान संचित राजस्व अंतर/विनियामक परिसम्पत्तियों को कम करने में मदद मिलेगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1277

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

चीन के विद्युत उपकरणों का प्रयोग

1277. डॉ. के. वी. पी. रामचन्द्र रावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में चीन के विद्युत उत्पादन उपकरणों का प्रयोग घरेलू विनिर्मित उपकरणों के प्रयोग की तुलना में बढ़ गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग बढ़ाने हेतु कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पिछले कुछ वर्षों के दौरान चीन से विद्युत उत्पादन उपकरणों (मुख्य संयंत्र उपस्कर) के आयात में वृद्धि हुई है। 11वीं योजना में चालू की गई 48540 मेगावाट की ताप उत्पादन क्षमता में से 18187 मेगावाट के लिए मुख्य संयंत्र उपस्कर चीन के विनिर्माताओं से आयात किया गया था। यह रूझान 12वीं योजना में भी जारी रहा।

(ग) : घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आदेश उपलब्ध करवाने को ध्यान में रखकर, सरकार द्वारा एनटीपीसी और डीवीसी के लिए 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल की 11 यूनिटों तथा एनटीपीसी के लिए 800 मेगावाट की 9 सुपर क्रिटिकल यूनिटों का थोक आदेश अनुमोदित किया गया था और इसे एनटीपीसी द्वारा शुरू

किया गया है। ये थोक आदेश पूर्व स्वीकृत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के अनुसार सफल बोलीकर्ताओं द्वारा सुपरक्रिटिकल यूनिटों के निर्माण के स्वदेशीकरण की अनिवार्य आवश्यकता वाले हैं।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा सभी केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनियों को यह परामर्शिका जारी की गई है कि सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित थर्मल पावर प्लांटों के स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वे सुपरक्रिटिकल परियोजनाओं के बायलरों और टरबाइन जनरेटरों के लिए की जाने वाली बोलियों में चरणबद्ध स्वदेशी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना शर्तों को शामिल कर सकते हैं। यह परामर्शिका अक्टूबर, 2015 तक वैध है।

अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) की बोली में स्वदेशी विद्युत उपस्कर के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने बोलीकर्ताओं के लिए बाँयलरों, टरबाइनों तथा जनरेटरों की खरीद किसी भारतीय कंपनी, किसी विदेशी कंपनी अथवा किसी भारतीय एवं विदेशी कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम द्वारा भारत में स्थित और स्वामित्व वाली और भारत में प्रचालनरत विनिर्माण सुविधाओं से करने की अनिवार्य शर्त रखी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1287

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र से संबंधित कानूनों की समीक्षा

1287. श्री संजय राउत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी विद्युत कंपनियों ने विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का संचालन करने वाले पुराने कानूनों की समीक्षा करने तथा विद्युत उद्योग हेतु सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक माहौल के लिए सरल मानक उपलब्ध कराने हेतु सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : मंत्रालय को विद्युत उत्पादक संघ (एपीपी) से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि विद्युत परियोजना की स्थापना करने और उसे चलाने के लिए बहुत सी स्वीकृतियों एवं अनुपालनाओं की आवश्यकता है ।

इस संबंध में एपीपी से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों और अनुपालनाओं, का विश्लेषण करने के बाद विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं जिनके संबंध में कानूनों/विनियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1288

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1288. श्री पंकज बोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना/निर्माण करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पादन क्षमता लक्ष्यों सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यतः उन पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित होती हैं जहां विद्युत उत्पादन के लिए अपेक्षित ऊंचाई उपलब्ध होती है। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, स्थापित/निर्मित की जानी प्रस्तावित हैं:-

परियोजनाओं की स्थिति	संख्या	मेगावाट	ब्यौरा यहां पर है
निर्माणाधीन	48	14211.3	अनुबंध-I
सीईए द्वारा सहमति दे दी गई और निर्माण अभी शुरू किया जाना है	40	26080	अनुबंध-II
जांच की जा रही है	19	9430	अनुबंध-III
पुनः प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को वापिस की गई है	27	7730	अनुबंध-IV
सर्वेक्षण तथा अन्वेषण किया जा रहा है	67	20192	अनुबंध-V
कुल	201	77643.3	

राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1288 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

निष्पादनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची
(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन परियोजनाओं को छोड़कर)

30.06.2014 की स्थिति के अनुसार

क्रम स.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का संभावित वर्ष
	केंद्रीय क्षेत्र				
1	किशनगंगा 3x110= 330 मेगावाट	यू-1 से यू-3	जम्मू व कश्मीर/एनएचपीसी	330	2016-17
2	पारबती स्ट. II 4x200= 800 मेगावाट	यू-1 to यू-4	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	800	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
3	कोल डैम 4x200= 800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश/एनटीपीसी	800	2015-16
4	रामपुर 6x68.67= 412 मेगावाट	यू-3, व यू-6	हिमाचल प्रदेश/एसजेवीएनएल	137.33	2014-15
5	तपोवन विष्णुगाड 4x130=520 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखण्ड/एनटीपीसी	520	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
6	टेहरी पीएसएस 4x250= 1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखण्ड/टीएचडीसी	1000	2017-18
7	लता तपोवन 3x57= 171 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखण्ड/एनटीपीसी	171	2018-19
8	विष्णुगाड पीपलकोटि 4x111= 444 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखण्ड/टीएचडीसी	444	2018-19
9	तीस्ता लो डैम-IV 4x40= 160 मेगावाट	यू-1 से यू-4	पश्चिम बंगाल/एनएचपीसी	160	2015-16
10	सुबानसिरी लोअर 8x250= 2000 मेगावाट	यू-1 से यू-8	अरुणाचल प्रदेश/एनएचपीसी	2000	2016-18 (आगे जाने की संभावना है)
11	कामेंग 4x150= 600 मेगावाट	यू-1 से यू-4	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	600	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
12	पारे 2x55= 110 मेगावाट	यू-1 से यू-2	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	110	2016-17
13	तुरियल 2x30= 60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	मिजोरम/नीपको	60	2016-17
			उप-जोड़ (केंद्रीय):	7132.33	
	राज्य क्षेत्र				
14	बगलीहार-II 3x150= 450 मेगावाट	यू-1 से यू-3	जम्मू व कश्मीर/जेकेपीडीसी	450	2016-17
15	शाहपुरकुंडी 3x33+3x33+1x8= 206 मेगावाट	यू-1 से यू-7	पंजाब/सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	206	2017-18
16	उहल-III 3x33.33= 100 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/ब्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीपीसी)	100	2016-17
17	कशांग-I 1x65 =65 मेगावाट	यू-1	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	65	2016-17
18	कशांग-II व III 1x65 + 1x65= 130 मेगावाट	यू-1 व यू-2	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	130	2016-17
19	सैंज 2X50=100 मेगावाट	यू-1 व यू-2	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	100	2015-16
20	स्वारा कुड्ड 3x37= 111 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	111	2016-17
21	शौगटोंग करछम 3x150= 450 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	450	2017-18
22	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40= 80 मेगावाट	यू-1 से यू-2	महाराष्ट्र/डब्ल्यूआरडी, जीओ महा.	80	2017-18

क्रम स.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का संभावित वर्ष
23	नागार्जुन सागर टीआर 2x25= 50 मेगावाट	यू-1 व यू-2	आंध्र प्रदेश/एपीजेको	50	2014-15
24	लोअर जुराला 6x40= 240 मेगावाट	यू-1 से यू-6	आंध्र प्रदेश/एपीजेको	240	2014-16
25	पुलीचिताला 4x30= 120 मेगावाट	यू-1 से यू-4	आंध्र प्रदेश/एपीजेको	120	2015-17
26	पल्लीवसल 2x30= 60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केरल/केएसईबी	60	2016-17
27	थोटियार 1x30 + 1x10= 40 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केरल/केएसईबी	40	2016-17
28	न्यू उमतूरु 2x20= 40 मेगावाट	यू-1 व यू-2	मेघालय/एमईईसीएल	40	2015-16
			उप-जोड़ (राज्य):	2242	
	निजी क्षेत्र				
29	रतले 4x205+1x30= 850 मेगावाट	यू-1 से यू-5	जम्मू व कश्मीर/रतले हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा. लि.	850	2017-18
30	सोरांग 2x50= 100 मेगावाट	यू-1 व यू-2	हिमाचल प्रदेश/हिमाचल सोरांग पावर	100	2015-16
31	टांगनु रोमई I 2x22= 44 मेगावाट	यू-1 से यू-2	हिमाचल प्रदेश/ टांगनु रोमई पावर जेनरेशन	44	2016-17
32	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/जीएमआर बजोली होली हाइड्रो पावर प्रा. लि.	180	2017-18
33	चांजू-I 3x12= 36 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/आईए इनर्जी	36	2017-18
34	टिडोंग-I 2x50= 100 मेगावाट	यू-1 से यू-2	हिमाचल प्रदेश/मैसर्स नुजीवीडू सीड्स	100	2016-17
35	श्रीनगर 4x82.5= 330 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखण्ड/मैसर्स जीवीके इण्डस्ट्रीज	330	2015-16
36	फाटा ब्यूंग 76 मेगावाट		उत्तराखण्ड/मैसर्स लैंको	76	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
37	सिंगोली भटवारी 3x33= 99 मेगावाट	यू-1 से यू-3	उत्तराखण्ड/एल एण्ड टी उत्तरांचल हाइड्रो पावर लिमिटेड	99	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
38	महेश्वर 10x40= 400 मेगावाट	यू-1 से यू-10	मध्य प्रदेश/एसएमएचपीसीएल	400	2015-17
39	तीस्ता- III 6x200= 1200 मेगावाट	यू-1 से यू-6	सिक्किम/तीस्ता ऊर्जा लि.	1200	2014-16
40	तीस्ता- VI 4x125= 500 मेगावाट	यू-1 से यू-4	सिक्किम/लैंको	500	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
41	रंगित-IV 3x40= 120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	सिक्किम/जल पावर कारपो. लिमिटेड	120	2016-17
42	जोरथांग लूप 2x48= 96 मेगावाट		सिक्किम/मैसर्स डैन्स एनर्जी	96	2014-15
43	भास्मे 3x17= 51 मेगावाट	यू-1 से यू-3	सिक्किम/गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	51	2016-17 (आगे जाने की संभावना है)
44	ताशिडिंग 2x48.5= 97 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/शीघा इनर्जी प्रा. लि.	97	2017-18
45	डिक्चू 3x32= 96 मेगावाट	यू-1 से यू-3	सिक्किम/स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	96	2017-18
46	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/सिक्किम हाइड्रो पावर लिमिटेड	66	2017-18
47	रॉगनीचू 2x48= 96 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/मध्य भारत पावर कारपोरेशन लिमिटेड	96	2017-18
48	पनन 4x75= 300 मेगावाट	यू-1 से यू-4	सिक्किम/हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	300	2017-18
			उप-जोड़ (निजी)	4837	
कुल (केंद्रीय क्षेत्र +राज्य क्षेत्र + निजी क्षेत्र)				14211.33	

राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1288 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य-वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमें जिन्हें सीईए द्वारा सहमति दे दी गई और निर्माण अभी शुरू किया जाना है

क्रम सं.	स्कीम	क्षेत्र	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
जम्मू व कश्मीर				
1	न्यू गंदरवाल	राज्य	जे एण्ड के	93
2	पकल दुल	केंद्रीय	जे एण्ड के	1000
	कुल			1093
हिमाचल प्रदेश				
3	कुटेहर	निजी	एचपी	240
4	मियार	निजी	एचपी	120
5	चांगो यांगथांग	निजी	एचपी	180
	कुल			540
उत्तराखण्ड				
6	कोटलीभेल स्टेज-I ए	केंद्रीय	उत्तराखण्ड	195
7	कोटलीभेल स्टेज-I बी	केंद्रीय	उत्तराखण्ड	320
8	कोटलीभेल स्टेज-II	केंद्रीय	उत्तराखण्ड	530
9	पाला मनेरी	राज्य	उत्तराखण्ड	480
10	अलकनंदा	निजी	उत्तराखण्ड	300
11	रूपसियाबगर खसियाबारा	केंद्रीय	उत्तराखण्ड	261
12	व्यासी	राज्य	उत्तराखण्ड	120
13	देवसरी	केंद्रीय	उत्तराखण्ड	252
	कुल			2458
छत्तीसगढ़				
14	मतनार एचईपी	राज्य	छत्तीसगढ़	60
	कुल			60
आंध्र प्रदेश				
15	इंदिरासागर (पोलावरम)	राज्य	आंध्र प्रदेश	960
	कुल			960
कर्नाटक				
16	गुंडिया	राज्य	कर्नाटक	200
	कुल			200
केरल				
17	अथीरापिल्ली	राज्य	केरल	163
	कुल			163
ओडिशा				
18	जलापुट डैम टोई	निजी	ओडिशा	18
	कुल			18
पश्चिम बंगाल				
19	रम्माम स्टेज-III	केंद्रीय	पश्चिम बंगाल	120
	कुल			120
सिक्किम				
20	तीस्ता स्टेज-IV	केंद्रीय	सिक्किम	520
	कुल			520

मणिपुर				
21	तिपाईमुख	केंद्रीय	मणिपुर	1500
22	लोकटक डी/एस	केंद्रीय	मणिपुर	66
	कुल			1566
अरुणाचल प्रदेश				
23	दिबांग	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	3000
24	डिबिन	निजी	अरुणाचल प्रदेश	120
25	लोअर सियांग	निजी	अरुणाचल प्रदेश	2700
26	नाफ्रा	निजी	अरुणाचल प्रदेश	120
27	न्यामजंग छू	निजी	अरुणाचल प्रदेश	780
28	तवांग स्टेज-I	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	600
29	टाटो-II	निजी	अरुणाचल प्रदेश	700
30	तवांग स्टेज-II	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	800
31	डेम्वे लोअर	निजी	अरुणाचल प्रदेश	1750
32	गोंगरी	निजी	अरुणाचल प्रदेश	144
33	हीरोंग	निजी	अरुणाचल प्रदेश	500
34	टलोंगा लोंडा	निजी	अरुणाचल प्रदेश	225
35	इटेलिन	निजी	अरुणाचल प्रदेश	3097
36	नेईंग एचईपी	निजी	अरुणाचल प्रदेश	1000
37	सियोम	निजी	अरुणाचल प्रदेश	1000
38	कलाई -II एचईपी	निजी	अरुणाचल प्रदेश	1200
	कुल			17736
मिजोरम				
39	कोलोडाइन स्टेज-II	केंद्रीय	मिजोरम	460
	कुल			460
नागालैंड				
40	दिखू एचईपी	नागालैंड	निजी	186
	कुल			186
	कुल : अखिल भारत			26080

राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1288 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जांचाधीन राज्य-वार हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्कीमें जिनकी जांच की जा रही है

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
जम्मू व कश्मीर				
1	क्वार एचईपी	जे एण्ड के	संयुक्त उद्यम	560
2	किरू एचईपी	जे एण्ड के	संयुक्त उद्यम	660
3	किरथई-I	जे एण्ड के	राज्य	390
4	स्वालकोट	जे एण्ड के	राज्य	1856
	कुल			3466
हिमाचल प्रदेश				
5	सेली एचईपी	एचपी	निजी	400
6	छतरू एचईपी	एचपी	निजी	126
7	सच खास	एचपी	निजी	267
8	लुहरी	एचपी	केंद्रीय	601
	कुल			1394
उत्तराखण्ड				
9	जेलम तमक	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	108
10	बवाला नंद प्रयाग	उत्तराखण्ड	राज्य	300
	कुल			408
बिहार				
11	दगामारा एचईपी	बिहार	राज्य	130
	कुल			130
मेघालय				
12	किंशी	मेघालय	निजी	270
13	उमनघोट एचईपी	मेघालय	राज्य	240
	कुल			510
असम				
14	लोअर कोपिली	असम	राज्य	120
	कुल			120
अरुणाचल प्रदेश				
15	डेम्वे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1080
16	न्यूकचरॉंग हू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	96
17	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	186
18	हियो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	240
19	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1800
	कुल			3402
	कुल : अखिल भारत			9430

राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1288 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

परियोजना प्राधिकारणों को वापिस की गई राज्य-वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमें

क्रम सं.	स्कीमें	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
जम्मू व कश्मीर				
1	किरथई-II	जे एण्ड के	राज्य	990
	कुल			990
हिमाचल प्रदेश				
2	एकीकृत कशांग स्टेज-I	एचपी	राज्य	130
3	बड़ा भंगाल	एचपी	निजी	200
	कुल			330
उत्तराखण्ड				
4	भैरोंघाटी	उत्तराखण्ड	राज्य	381
5	मोरी हनोल	उत्तराखण्ड	निजी	63
6	बोगुडियार सिरकारी भ्योल	उत्तराखण्ड	निजी	146
7	ट्यूनी प्लसू	उत्तराखण्ड	राज्य	72
8	नंद प्रयास लंगासू	उत्तराखण्ड	राज्य	100
	कुल			762
मध्य प्रदेश				
9	सोन	एम.पी.	राज्य	100
	कुल			100
तेलंगाना				
10	डम्मूगडेम	टीजी	राज्य	320
	कुल			320
कर्नाटक				
11	शिवासमुद्रम	कर्नाटक	राज्य	345
12	महादेवी	कर्नाटक	राज्य	320
	कुल			665
तमिलनाडु				
13	कुंडहा पीएसपी	टी.एन.	राज्य	500
	कुल			500
सिक्किम				
14	तीस्ता स्टेज-II	सिक्किम	निजी	480
15	लेथांग	सिक्किम	निजी	96
	कुल			576
असम				
16	करबी लंगपी (यू. बोरपानी)	असम	राज्य	60
	कुल			60
अरुणाचल प्रदेश				
17	रंगानदी स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	130
18	यामने स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	84
19	हुटोंग-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1200
20	कलाई-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1352
21	पेमाशेल्फू एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	90
22	सिस्सिरी एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	100
23	जिमिलियांग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	80
24	रैगम	अरुणाचल प्रदेश	निजी	141
25	कंगटंगश्री	अरुणाचल प्रदेश	निजी	80
26	तगरुशिट एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	74
27	मागोचू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	96
	कुल			3427
	कुल : अखिल भारत			7730

राज्य सभा में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1288 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में सर्वेक्षणाधीन और अन्वेषणाधीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमों की सूची

क्रम सं.	स्कीम का नाम	बेसिन/नदी	डीपीआर की एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	एमओए की तिथि	डीपीआर तैयार करने की लक्षित तिथि
	अरुणाचल प्रदेश					
1	नाबा	सुबानसिरी	अबीर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	1000	21.06.2010	9/15
2	अंजा	लोहित	एथेना एनर्जी वेंचर (पी) लि.	270	09.07.2007	12/14
3	एमरा-I	दिबांग	एथेना एनर्जी वेंचर्स लि.	275	02.02.2008	डीपीआर के लिए लक्षित तिथि नहीं दी गई
4	एमरा-II	दिबांग	एथेना एनर्जी वेंचर्स लि.	390	02.02.2008	3/15
5	डेंगसर	सुबानसिरी	कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	552	26.04.2011	6/15
6	नैयारा	सुबानसिरी	कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	800	26.04.2011	6/15
7	नालो	सुबानसिरी	कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	635	16.11.2010	9/15
8	अट्टुनली	दिबांग	जिंदर पावर लि.	680	8.12.2008	9/14
9	दिनचांग	कामेंग	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	252	11.9.2007	12/14
10	सुबानसिरी अपर	सुबानसिरी	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	2000	18.03.2010	3/15
11	ओजू	सुबानसिरी	नवयुग इंजीनि. कं. लि.	1800	जून, 2010 ओजू-I एवं ओजू-II के लिए, एकल स्कीम हेतु समझौता ज्ञापन संशोधित किया गया है जिस पर हस्ताक्षर किए जाने हैं	12/15
12	सियांग अपर -II	सियांग	नीपको	3750	28.05.2013	10/15
13	अमुलिन	दिबांग	रिलायंस पावर लि.	420	02.03.2009	6/15
14	एमिनी	दिबांग	रिलायंस पावर लि.	500	02.03.2009	6/15
15	मिहुमडोन	दिबांग	रिलायंस पावर लि.	400	02.03.2009	6/15
16	रोह	तवांग	एसईडब्ल्यू एनर्जी	93	2.3.2009	12/14
17	यामने-I	सियांग	एस.एस. यामने पावर प्रा. लि.	111	5.03.2008	12/14
18	पॉक	सियांग	वेल्कन एनर्जी प्रा. लि.	145	30.06.2007 (संशोधित एमओए-31.07.09)	12/14
19	चोमी	सुबानसिरी	एडवेता पावर	80	14.2.2013	3/16
20	चेला	सुबानसिरी	एडवेता पावर	75	14.2.2013	3/16
21	बडाओ	कामेंग	कोस्टल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	70	19.11.2008	12/14
22	पारे	कामेंग	कोस्टल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	55	19.11.2008	11/14
23	पचुक-I	कामेंग	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	84	27.08.2010	10/14
24	पचुक -II	कामेंग	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	60	27.08.2010	10/14
25	त्सा चु- I लोअर	तवांग	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	50	27.08.2010	12/14
26	त्सा चु - II	तवांग	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	90	27.08.2010	12/14

27	पक्के बुंग-I	कामेंग	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	40	12.1.2008 (27.8.2010 को संशोधित)	11/14
28	पचुक-II लोअर	कामेंग	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	45	27.8.2010	10/14
29	मरीजिंगला	कामेंग	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	60	12.1.2008 (27.8.2010 को संशोधित)	11/14
30	मरीजिंगला लोअर	कामेंग	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	48	27.8.2010	11/14
31	रेगो	सियांग	ग्रीनको एनर्जीस लि.	70	25.11.2012	3/15
32	इथुन-I	दिबांग	जेवीकेआईएल कंसर्टियम	84	29.8.2008	3/16
33	इथुन-II	दिबांग	जेवीकेआईएल कंसर्टियम	48	29.8.2008	3/16
34	जामेरी	कामेंग	केएसके एनर्जी वैंचर्स लि.	50	27.12.2007	12/14
35	दारदू	डिकरोंग	केवीके एनर्जी एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	60	26.12.2007	हाईवे मामले के समाधान के पश्चात डीपीआर प्रस्तुत की जायेगी
36	पार	डिकरोंग	केवीके एनर्जी एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	65	26.12.2007	8/14
37	तुरू	डिकरोंग	केवीके एनर्जी एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	90	21.6.2007	12/14
38	पांगो	सियांग	मीनाक्षी पावर लि.	96	27.08.2010	12/15
39	सिप्पी	सियांग	मीनाक्षी पावर लि.	96	20.7.2011	4/16
40	जीडू (यांगसांग)	सियांग	मीनाक्षी पावर लि.	92	20.7.2011	3/15
41	डिजिन	कामेंग	पटेल हाइड्रो पावर प्रा. लि.	46	15.11.2010	12/14
42	मेयोंग	कामेंग	पटेल हाइड्रो पावर प्रा. लि.	38	15.11.2010	12/14
43	पनयोर	डिकरोंग	राजरत्न एनर्जी होल्डिंग्स प्रा. लि.	80	25.02.2009	10/15
44	रपुम	सियांग	राजरत्न एनर्जी होल्डिंग्स प्रा. लि.	80	27.12.2007	12/14
45	टिडिंग-I	लोहित	साई कृष्णोदया इण्ड. (पी) लि.	68	26.02.2009	3/15
46	टिडिंग-II	लोहित	साई कृष्णोदया इण्ड. (पी) लि.	96	26.02.2009	3/15
47	न्यू मेलिंग	तवांग	एसईडब्ल्यू एनर्जी	96	2.3.2009	2/15
48	लोअर यामने स्टेज-I	सियांग	यामने पावर प्रा. लि.	75	29.11.2008	3/15
49	लोअर यामने स्टेज-II	सियांग	यामने पावर प्रा. लि.	87	29.11.2008	3/15
	कुल (अरुणाचल प्रदेश)			16247		
	हिमाचल प्रदेश					
50	नखतन (पारबती)-I)	पारबती	एचपीपीपीसीएल	520	22.9.2009	12/14
51	थाना प्लॉन	ब्यास	एचपीपीपीसीएल	141	22.9.2009	9/14
52	बेरी निचली (त्रिवेणी महादेव)	ब्यास	एचपीपीपीसीएल	78	22.9.2009	6/15
53	रियोली दुगली	चिनाब	एल एण्ड टी पावर लि.	420	15.3.2011	12/14
54	दुगर	चिनाब	दुगर हाइड्रो पावर लि.	380	31.05.2011	5/15
55	चिरगांव मझगांव	पब्बर	एचपीपीपीसीएल	60	8.1.2007	8/14
56	टिडोंग-II	टिडोंग	टिडोंग हाइड्रो पावर लि.	60	20.1.2012	6/15
	उप-जोड़ (एचपी)			1659		
	जे एण्ड के					
57	बरसर	चिनाब	एनएचपीसी	1200	20.7.2000	3/16

	उप-जोड़ (जे एण्ड के)			1200		
	मेघालय					
58	सेलिम	बराक	एमईईसीएल	170	2008	3/15
59	उमियू (मॉफू स्टेज-II)	उमियू	नीपको	85	20.4.12	3/15
60	उमदुना	बराक	एटा स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	90	दिसं. 2007/ संशो. नव. 2008	12/14
61	उमजोट	उमतिरू	एटा स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (जेवी)	69	दिसं. 2007/ संशो. नव. 2008	12/14
	उपजोड़ (मेघालय)			414		
	सिक्किम					
63	कलेज खोला	कलेज खोला/रंगित	सीडब्ल्यूसी	72	12.2.2007	3/15
64	सुनतालेटार	रांगपोचू	मोसरबेर इलैक्ट्रिक पावर लि.	40	एलओआई तिथि 23.02.12	11/15
	उप-जोड़ (सिक्किम)			112		
	उत्तराखण्ड					
62	तमक लता	धौलीगंगा	यूजेवीएनएल	280	9.12.2004	6/15
	उप-जोड़ (उत्तराखण्ड)			280		
	पश्चिम बंगाल					
65	तीस्ता लोअर डैम (इंटरमीडिएट स्टेज)	तीस्ता	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	110	20.9.2006	10/14
66	तीस्ता लो डैम I व II	तीस्ता	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	50	20.9.2006	10/14
67	तीस्ता लो डै V	तीस्ता	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	120	20.9.2006	5/15
	उप-जोड़ (डब्ल्यूबी)			280		
	कुल : अखिल भारत			20192.0		

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1289

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

पनबिजली परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा
किया जाना

1289. श्री सी. एम. रमेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पनबिजली परियोजनाओं को, जिनकी अवधि वर्तमान में सर्वेक्षण से लेकर ऐसी परियोजनाओं के समापन तक 8 से 12 वर्षों तक की है, बहुत कम समयावधि के भीतर पूरा करने हेतु प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ । प्रौद्योगिकी समोवशन एक सतत प्रक्रिया है और अगामी जल विद्युत संयंत्रों के ई एंड एम उपस्कर में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है जिससे न केवल निर्माण और संयंत्रों को चालू करने में समय कम लगता है बल्कि उत्पादन संयंत्र के समग्र दक्षता, लोचशीलता, विश्वसनीयता और निष्पादन में भी सुधार आता है ।

जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

जल विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में दिनांक 21.07.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं0. 1289 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में कार्यान्वित की जा रही नई प्रौद्योगिकियां

- **टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम):** हिमाचल प्रदेश पार्वती-॥ जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, जम्मू एवं कश्मीर में किशनगंगा जल विद्युत परियोजना इत्यादि जैसी विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में सुरंग कार्य में तेजी लाने के लिए टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का प्रयोग किया जा रहा है कट ऑफ वाल अत्यधिक । अभी हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में किशनगंगा जल विद्युत परियोजना में एचआरटी का बोरिंग कार्य रिकार्ड समय में पूरा किया गया है ।
- **कट ऑफ वाल:** अत्यधिक खनन और कंक्रीटिंग से बचने के लिए के लिए बांध के नीचे पानी के रिसाव से बचने के लिए कट ऑफ वाल के माध्यम से चट्टान स्तर तक इसे बेंटोनाइट मिश्रण से भराई की जाती है । देश में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना में बांध के नीचे कट ऑफ वाल की व्यवस्था की गयी थी जहाँ नदी के तल में अपेक्षित चट्टान का स्तर 80 मीटर और इससे भी अधिक गहरा था । वर्तमान में, कट ऑफ वाल प्रौद्योगिकी का प्रयोग सिक्किम में तीस्ता-॥। जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश/असम में लोअर सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना में किया जा रहा है ।
- **रोल काम्पैक्टेड कंक्रीट (आरसीसी):** डैम आरसीसी डैम में कंक्रीट और ताप विद्युत परियोजनाओं की फ्लाइ ऐश का उपयोग किया जाता है । अन्य प्रौद्योगिकी की तुलना में यह निर्माण प्रौद्योगिकी किफायती हैं और इसके निर्माण में समय भी कम लगता है । इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग महाराष्ट्र में घटघर डैम और पश्चिम बंगाल में तीस्ता लो डैम-IV में किया गया है ।
- **जेट ग्राउटिंग:** काफर डैम की नींव, विशेष तौर पर हटेराजेनस मास पर सही ग्राउटिंग सुनिश्चित करने के लिए तीस्ता-V जल विद्युत परियोजना (सिक्किम) में होमोजेनस मास निर्मित करने के लिए शुरू करने के लिए जेट ग्राउटिंग शुरू की गयी है । काँफर डैम के नीचे अधिक मात्रा में पानी की सीपेज को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ।
- **परमीएशन ग्राउटिंग/फॉसिल वैली ग्राउटिंग:** परमीएशन ग्राउटिंग/फॉसिल वैली ग्राउटिंग का प्रयोग फॉसिल वैली को स्थिर करने और होमोजेनेस माँस बनाने के लिए किया जाता है । परमीएशन ग्राउटिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग पश्चिम बंगाल की टीएलडीपी-4 जल विद्युत परियोजना में और फॉसिल वैली ग्राउटिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग हिमाचल प्रदेश की पार्वती-॥ जल विद्युत परियोजना में किया गया था ।
- **रोड हैडर्स:** रोड हेडर्स को सुरंग में यांत्रिक खनन के लिए अरुणाचल प्रदेश /असम के लोअर सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना में शामिल किया जा रहा है । इसका प्रयोग इस लिए किया जा रहा है क्योंकि चटटाने कमजोर थी और ड्रिल और विस्फोट पद्धति (डीबीएम) जैसी पारंपरिक सफल नहीं हो पाई थी ।
- **सुरंग भूकंपीय पूर्वानुमान:** सुरंग भूकंपीय पूर्वानुमान का प्रयोग पार्वती-॥ जल विद्युत परियोजना में सुरंग के मुख के सामने की अवस्थिति की जाँच करने के लिए किया जा रहा है और पूर्वानुमान रेंज लगभग 200 मीटर है ।
- **सीज़मिक टोमोग्राफी:** इस तकनीक का प्रयोग उप सतही जाँच के लिए किया जाता है ।
- **सर्विस बे लेआउट:** सर्विस ले आउट की योजना अधिक यूनिटों की समानांतर एसेंबली के लिए बनाई गई है ।
- **डिजाइन एवं इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर:** नवीनतम, डिजाइन और इंजीनियरिंग साफ्टवेयर ई एण्ड एम उपकरणों के डिजाइन में लगने वाला समय को काफी कम कर दिया है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1290

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

मध्य प्रदेश में विद्युत संयंत्रों को कोयले की
आपूर्ति में अनियमितताएं

1290. श्री मोती लाल वोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश के बिजली संयंत्रों को आपूर्ति किये जा रहे कोयले की मात्रा में घोटाला पाया गया है;
- (ख) यदि हां, तो वर्ष 2012-13 और 2013-14 में प्रतिमाह कोयले की आपूर्ति कितनी कम पाई गई और कितनी मात्रा में कोयला खराब पाया गया;
- (ग) खराब कोयले का निष्पादन किस प्रकार किया गया;
- (घ) क्या यह सच है कि कोयला आने पर उसका भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता है;
- (ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (च) क्या अन्य राज्यों में भी बिजलीघरों को आपूर्ति किये जाने वाले कोयले की मात्रा में कमी पाई गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी नहीं ।

(ख) से (च): कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनियों द्वारा कोयले की बिक्री लोडिंग प्वायंट "फ्री ऑन रोड/रेल " कोलियरी आधार पर की जाती है । कोयले का वजन और गुणवत्ता की जाँच लोडिंग प्वायंट पर, जहाँ क्रेता के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहते हैं, की जाती है ।

कोल इण्डिया लिमिटेड की कोयला कम्पनियां मध्य प्रदेश में विद्युत संयंत्रों को कोयले की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति ईंधन आपूर्ति करार की शर्तों के अनुसार करती है । सीआईएल स्रोतों से मध्य प्रदेश के विद्युत संयंत्रों को घटिया कोयला का निपटान या आपूर्ति नहीं की गई है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1291

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

उच्च विकास दर को प्राप्त करने के लिए विद्युत
उत्पादन

1291. श्री परवेज़ हाशमी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए अपेक्षित पर्याप्त विद्युत का उत्पादन कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान विकास दर एवं विद्युत उत्पादन लक्ष्य तथा इनकी पूर्ति का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या परियोजना चलाई जा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : पिछले तीन वर्षों के लिए विद्युत उत्पादन के लक्ष्य, उपलब्धि और वृद्धि दर का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	लक्ष्य (बि.यू.)	उपलब्धि (बि.यू.)	लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि (%)	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि (%)
2011-12	855.000	876.887	102.56	8.11
2012-13	930.000	912.057	98.07	4.01
2013-14	975.000	967.150	99.19	6.04

इस उपलब्धता से, व्यस्ततम कमी और ऊर्जा कमी वर्ष 2011-12 में क्रमशः 10.6% और 8.5% से 2014-15 में घटकर क्रमशः 3.7% और 4.0% रह गई। 12वीं योजना में 88,537 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि किए जाने की योजना बनाई गई है जिसमें से दिनांक 13.07.2014 तक 43,408 मेगावाट प्राप्त कर ली गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1292

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

एन.टी.पी.सी. द्वारा विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण

1292. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. देश के सात कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का मूल्यांकन कर रही है जिससे इनका अधिग्रहण किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी संयंत्र-वार मौजूदा स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एनटीपीसी ने, दिनांक 21.02.2014 के ईओआई के तहत "एनटीपीसी द्वारा संभावित अधिग्रहण के लिए अपनी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं का प्रस्ताव देना" के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत उत्पादन कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी), विद्युत संयंत्र विकासकर्ताओं, कैप्टिव विद्युत उत्पादकों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) मांगी थी । इस ईओआई के लिए 34 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1293

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रणाली विकास निधि

1293. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत प्रणाली विकास निधि को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या-क्या हैं; और

(ग) देश की गैर-सरकारी विद्युत कम्पनियों की इस संबंध में क्या राय है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी, हाँ । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 2 जनवरी, 2014 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विद्युत प्रणाली विकास निधि विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के प्रचालनीकरण और उसमें जमा की गई धनराशि के उपयोग के लिए तैयार की गई स्कीम के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है । विद्युत प्रणाली विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा :

- (i) अन्तरराज्यीय पारेषण प्रणालियों (आईएसटीएस) और अंतः राज्यीय प्रणाली, जो कि आईएसटीएस के आनुषंगिक हैं, में अवरोध को दूर करने के लिए भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा प्रचालनात्मक फीडबैक के आधार पर कार्यनीतिक महत्व की आवश्यक पारेषण प्रणालियों का सृजन ।
- (ii) ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाइल को सुधारने के लिए शंट केपेसिटर्स, सिरीज कम्पेन्सेटर्स और अन्य रिएक्टिव ऊर्जा उत्पादकों की संस्थापना ।

- (iii) मानक एवं विशेष सुरक्षा स्कीमें, पायलट और प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं लगाना और क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा लेखापरीक्षा में चिन्हित अवरोधों को दूर करना ।
- (iv) अवरोध को दूर करने के लिए पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएण्डएम)
- (v) उपरोक्त उद्देश्यों जैसे कि तकनीकी अध्ययन करना और क्षमता निर्माण करना आदि को अग्रसर करने में कोई अन्य स्कीम/परियोजना ।
- (vi) उपरोक्त क्षेत्रों में वितरण यूटिलिटियों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं, जिनका ग्रिड की रक्षा एवं सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है, बशर्ते कि ये पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) /राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) /राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) आदि जैसी भारत सरकार की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत शामिल न हो ।

निजी क्षेत्र की परियोजनाएं इस निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी ।

(ग) : भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुरूप, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने निजी क्षेत्र के पणधारियों सहित जनता से टिप्पणियां प्राप्त करने और उनके विचारों पर विचार करने के पश्चात दिनांक 9.6.2014 को पीएसडीएफ विनियम, 2014 अधिसूचित किए हैं ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1294

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

तेलंगाना में एन.टी.पी.सी. की विद्युत परियोजना

1294. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की तेरहवीं अनुसूची के अनुसार, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) को तेलंगाना में 4000 मेगावाट विद्युत संयंत्र स्थापित करना है; और

(ख) यदि हां, तो एन.टी.पी.सी. द्वारा इस संबंध में क्या प्रगति की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां ।

(ख) : एनटीपीसी तेलंगाना सरकार द्वारा भूमि की पहचान करने और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयला लिंकेज के स्थापित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1295

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

आन्ध्र प्रदेश के विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले
की कमी

1295. डॉ. के. वी. पी. रामचन्द्र राव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में स्थित विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मांग की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): दिनांक 13.07.2014 को आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में विद्युत संयंत्रों के कोयले के स्टॉक की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	विद्युत संयंत्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	कोयले का स्टॉक (दिनों में)
1	डा० एन. टाटा राव टीपीएस	1760	0
2	रायलासीमा टीपीएस	1050	1
3	सिम्हाद्री	2000	2
4	कोथागुदम	1720	6
5	रामागुण्डम एसटीपीएस	2600	4

6	काकाटिया	500	7
7	रामागुण्डम 'बी '	62.5	9

संयंत्रों में कम कोयले के स्टॉक का कारण महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल) से कम उत्पादन का होना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश/तेलंगाना राज्य और एनटीपीसी को वर्ष 2014-15 के दौरान क्रमशः 3.0 एमटी तथा 16.6 एमटी के आयात की सलाह दी गई थी। आन्ध्र प्रदेश/तेलंगाना और एनटीपीसी ने अप्रैल-जून, 2014 के दौरान 0.56 एमटी और 3.6 एमटी अर्थात् आनुपातिक लक्ष्य का 75 प्रतिशत और 86 प्रतिशत का आयात किया है।

(घ) : मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:

- (i) घरेलू कोयले के उत्पादन को वर्तमान वर्ष के लक्ष्यों से अधिक बढ़ाने के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा बहुस्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं
- (ii) विद्युत यूटिलिटीयों को जहाँ आवश्यक हो आयातित कोयले का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।
- (iii) कोयले की उपलब्धता की सरकार के उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से सूक्ष्म निगरानी की जा रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1296

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

अंतर-राज्यीय पारेषण क्षमता

1296. श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में अंतर-राज्यीय उच्च पारेषण क्षमता विकसित करने के लिए 12,500 करोड़ रुपये की नौ नई बिजली पारेषण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है;
- (ख) उक्त परियोजनाओं से किन-किन राज्यों को लाभ होगा और प्रत्येक परियोजना की विद्युत पारेषण क्षमता कितनी-कितनी है;
- (ग) क्या इन परियोजनाओं को टैरिफ आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विकसित किया जाएगा; और
- (घ) उक्त पारेषण परियोजनाओं की शुरुआत कब तक होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने 08.07.2014 को नौ अन्तर-राज्यीय विद्युत पारेषण परियोजनाएं अधिसूचित की हैं जिनकी अनुमानित लागत 12,272 करोड़ रुपये है।

(ख) : इन पारेषण परियोजनाओं में उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में प्रणाली सुदृढीकरण स्कीमें और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पादन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं और तदनुसार इन राज्यों को लाभ प्राप्त होगा। इन स्कीमों में 765 केवी और 400 केवी वोल्टेज स्तर की विद्युत पारेषण लाइनें शामिल हैं। सामान्यतया, एक 765 केवी सिंगल सर्किट में 2000 मेगावाट की और 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन में 1600 मेगावाट की विद्युत वहन क्षमता होती है।

(ग) : जी हां, इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मार्ग के अंतर्गत किया जाएगा।

(घ) : इन परियोजनाओं के 8-10 महीने में शुरू होने की संभावना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1297

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

असम में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण
का प्रभाव

1297. श्री सन्तियुस कुजूरः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) एनएचपीसी की सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;
- (ग) केन्द्रीय सरकार ने असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से विद्युत संकट से निपटने के लिए क्या-क्या नए कदम उठाए हैं;
- (घ) यदि भूटान और अरुणाचल प्रदेश विद्युत उत्पादन हेतु अपनी कई जल-विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो असम में लोगों का क्या भविष्य होगा; और
- (ङ) ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित हुए असम के अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) क्षेत्रों के लोगों के जीवन, पशुधन एवं संपत्तियों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/परियोजना कार्य शुरू किया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : असम में विभिन्न आंदोलनकारियों द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण एनएचपीसी की सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य 16.12.2011 से रूका हुआ है। अब तक परियोजना का लगभग 55% कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ख) : परियोजना के निर्माण के विरोध में चल रहे आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद लगभग 54 माह की अवधि के भीतर परियोजना चालू किए जाने की संभावना है।

(ग) : असम तथा समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

- केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों (सीजीएस) से असम को विद्युत का आवंटन 727 मेगावाट है। दिनांक 1 जुलाई 2014 से केंद्र सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों के गैर-आवंटित पूल में से 42.32 मेगावाट विद्युत आवंटित की है।
- इस समय कुल 2810 मेगावाट क्षमता की पांच जल विद्युत परियोजनाएं तथा कुल 1365.3 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्माणाधीन हैं।
- जल विद्युत संयंत्रों का विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से देश की उत्पादक यूटिलिटीयां मौजूदा पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण, अपरेटिंग और उपयोग अवधि विस्तार (आरएमयूएंडएलई) का कार्य करती हैं।
- उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी आर-एपीडीआरपी का कार्य किया गया है।
- सीईए द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20938 मेगावाट समेकित क्षमता की बीस नई जल विद्युत परियोजनाओं तथा तीन तापीय विद्युत परियोजनाओं को सहमति प्रदान की गई है।

(घ) और (ङ) : भूटान और अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के डाउनस्ट्रीम प्रभाव का आकलन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की अधिकांश नदी घाटियों के संबंध में पहले से ही डाउनस्ट्रीम प्रभाव अध्ययन किए जा रहे हैं। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के संबंध में असम के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन, पशु धन तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव किया गया है-

- लीन सीजन के दौरान एक टरबाइन को दिन में 24 घंटे निरंतर चलाने से 250 क्यूमेक्स का निरंतर डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज।
- नदी के किनारों को कटने से बचाने हेतु बांध के 30 किलोमीटर तक डाउनस्ट्रीम में तटबंध सुरक्षा के कार्य किए जाएंगे।
- डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में बाढ़ को कम करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान तथा बाढ़ चेतावनी प्रणालियों की स्थापना।
- एक स्वतंत्र रिजर्वायर विनियमन समिति का गठन।
- डाउनस्ट्रीम के लिए 470 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 145 करोड़ रूपए डाउनस्ट्रीम सुरक्षा उपायों, 320 करोड़ रूपए डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के विकास कार्यों तथा 5 करोड़ रूपए सामाजिक जागरूकता व जनता को जागरूक करने के कार्यक्रमों के लिए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1298

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी विद्युत संयंत्र को कोयले
की आपूर्ति

1298. डा. भूषण लाल जांगडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया लि. से एन.टी.पी.सी. के विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति की जाती थी;
- (ख) वर्तमान में कोल लिंकेज से केवल 65 प्रतिशत कोयले की आवश्यकता की आपूर्ति किए जाने का प्रावधान है तो क्या बाकी 35 प्रतिशत आवश्यक कोयले का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;
- (ग) क्या उस राज्य द्वारा कोल लिंकेज से कोयले की शत-प्रतिशत आपूर्ति एन.टी.पी.सी. को किए जाने की मांग की गई है; और
- (घ) यदि हां, तो क्या सरकार इससे सहमत होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य स्वयं एक कोयला आच्छादित क्षेत्र है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हां। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड (एसईसीएल) एनटीपीसी के कोरबा एसटीपीएस (2600 मेगावाट) और सीपत एसटीपीएस (2980 मेगावाट) को कोयला आपूर्ति करती है।

(ख) : एनटीपीसी लि. सहित विद्युत यूटिलिटियां घरेलू कोयले की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात कर रही है। वर्ष 2014-15 में विद्युत यूटिलिटियों को कमी को पूरा करने के लिए 54 एमटी कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है। अप्रैल-जून, 2014 के दौरान 16.6 एमटी कोयले के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में एनटीपीसी ने अभी तक 3.6 एमटी का आयात किया है।

(ग) और (घ) : अब घरेलू कोयले की कमी को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादक (एनटीपीसी सहित) कोयले की 100% आवश्यकता को केवल घरेलू कोयला उत्पादन से पूरा करना व्यवहार्य नहीं होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1299

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है।

तेलंगाना को विद्युत आबंटन

1299. श्रीमती गुन्डु सुधारानी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत तीन वर्षों से तेलंगाना के राजनीतिक दलों और जनता द्वारा राज्य में विद्युत की कमी को दूर करने हेतु एनटीपीसी से 500 मेगावाट विद्युत के आबंटन की मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : श्री के. चंद्रशेखर राव, माननीय मुख्यमंत्री, तेलंगाना ने माननीय प्रधानमंत्री से केंद्रीय पूल से न्यूनतम 3 वर्षों के लिए एनटीपीसी से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आबंटन का अनुरोध किया है।

(ख) : दिनांक 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से तेलंगाना को वर्तमान आबंटन निम्नानुसार है:

दिनांक 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार सीजीएस से तेलंगाना को विद्युत का आबंटन

निश्चित विद्युत	अनाबंटित विद्युत	झज्जर से सरेंडर की गई विद्युत	कुल
1702 मेगावाट	168 मेगावाट	122 मेगावाट	1992 मेगावाट

हाल ही में तेलंगाना को संकट से उबारने के लिए झज्जर आईजीएसटीपीएस (सीजीएस) से जुलाई, 2014 माह में अतिरिक्त 100 मेगावाट का आबंटन किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1300

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

राज्य विद्युत निरीक्षणालय (एसईआई) द्वारा
शुल्क उद्गृहीत किया जाना

1300. श्री मनसुख एल. मांडविया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आज की तारीख के अनुसार विभिन्न विद्युत संस्थापनाओं के परीक्षण तथा निरीक्षण के लिए राज्य विद्युत निरीक्षणालय द्वारा शुल्क उद्गृहीत किए जाने संबंधी मामलों पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि वर्तमान में ये ऐसे परीक्षण और निरीक्षण प्रभार उद्गृहीत नहीं कर सकते जिनके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ पड़ता हो; और
- (ख) एसईआई द्वारा विभिन्न विद्युत संस्थापनाओं के परीक्षण और निरीक्षण पर शुल्क उद्गृहीत किए जाने संबंधी पूर्ववर्ती परिपाटी को पुनः आरंभ करने हेतु सरकार कब तक आवश्यक संशोधन करेगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती विषय है । विद्युत अधिनियम, 2003 राज्यों के परामर्श से लागू किया गया था । भारतीय विद्युत नियम, 1956, जो उस समय लागू थे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निरीक्षण प्रभार लगाने की व्यवस्था की गई थी, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत नए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 तैयार किए जाने के बाद 24 सितम्बर, 2010 से रद्द कर दिए गए थे । विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 में इससे संबंधित विशिष्ट प्रावधान नहीं होने से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के नए विनियमों में शुल्क लगाने का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था । विधि मंत्रालय का मत है कि शुल्क लगाने के बारे में इस प्रकार के प्रावधान के लिए उपयुक्त वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता होगी। तदनुसार, राज्य विधानमण्डल निरीक्षण शुल्क इत्यादि लगाने के लिए केन्द्र सरकार की सहमति से एक नया कानून लागू कर सकते हैं ।

विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन, जिसमें वैद्युत प्रतिष्ठापनों की जांच और निरीक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा शुल्क लगाने का मामला शामिल है, करने के लिए कार्यदल द्वारा की गई जांच और सिफारिशों के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी । समिति ने कई बैठकों में विचार विमर्श के पश्चात् दिनांक 29.05.2013 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी ।

समिति की रिपोर्ट और पणधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित उपयुक्त संशोधन विचाराधीन हैं ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1301

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत केन्द्रों (टीपीएस) को कोयले की
आपूर्ति

1301. श्रीमती रजनी पाटिल:

श्री के.सी. त्यागी:

श्री प्रमोद तिवारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों में देश के ताप विद्युत केन्द्रों (टीपीएस) में से प्रत्येक केन्द्र को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) ईंधन आपूर्ति समझौते के अनुसार ताप विद्युत केन्द्रों को कितने कोयले की आपूर्ति की जानी है और उक्त अवधि के दौरान आपूर्ति में कितनी कमी हुई; और

(ग) इन ताप विद्युत केन्द्रों को पर्याप्त मात्रा में उचित गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध न कराने हेतु सरकार द्वारा कितना प्रतिकर दिया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : संयंत्रों और कोयला कंपनियों के बीच ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के माध्यम से नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अनुसार विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति की जानी है। एफएसए में विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति की मात्रा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

कोयले की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) देश में घरेलू कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिए गए थे।

- (ii) विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर, 2013 में तृतीय पक्ष सैंपलिंग की शुरुआत की गई थी।
- (iii) विद्युत यूटिलिटीयों को जहां कहीं आवश्यक हो आयातित कोयले का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

(ख) : पिछले दो वर्षों के दौरान विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

मिलियन टन (एमटी)

स्रोत	2012-13			2013-14		
	संविदात्मक मात्रा	प्रेषण	%	संविदात्मक मात्रा	प्रेषण	%
सीआईएल	403.6	344.4	85.3	412.1	355.3	86
एससीसीएल	27.7	38.2	138	27.7	34.3	124
टिप्पणी: ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) और समझौता जापन (एमओयू) के अनुसार संविदात्मक मात्रा में वर्ष के दौरान आपूर्ति की जाने वाली मात्रा शामिल है।						

(ग) : आपूर्ति न किए जाने पर ईंधन आपूर्ति करार में दण्ड के प्रावधान को छोड़कर, टीपीएस को कोयले की पर्याप्त मात्रा और पर्याप्त गुणवत्ता उपलब्ध न कराने पर सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1302

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।

घरेलू/आयातित कोयले से विद्युत सृजन के
मानक

1302. श्री परिमल नथवानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू और आयातित कोयले से विद्युत सृजन के लिए कोई अलग से प्रतिमानक है;

(ख) क्या सरकार कोयले का खनन बढ़ाने, विद्युत का सृजन और देश में विद्युत की कमी को कम करने हेतु प्रदूषण संबंधी प्रतिमानकों को शिथिल करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : उत्पादन के लिए कोयले की खपत कोयले के ग्रेड, राख की मात्रा, उपयोग किए जाने वाले कोयले में अंतर्निहित नमी इत्यादि पर निर्भर करती है । ताप विद्युत केन्द्रों के लिए घरेलू कोयले के लिए कोयले की खपत हेतु मानक अनुबंध में संलग्न हैं ।

इसके अतिरिक्त आयातित कोयले के आधार पर उत्पादन के लिए कोयले की खपत हेतु कोई अलग मानक नहीं हैं ।

(ख) और (ग) : विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयले के खनन और ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानकों को शिथिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सं. 12/2/2006-थर्मल-II

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
दिनांक 4 फरवरी, 2008

विषय: विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की खपत हेतु मानक ।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि कोयले की खपत हेतु निम्नलिखित मानकों की संस्तुति की गई है ।

(क) मौजूदा विद्युत संयंत्र

- (i) मौजूदा विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला लिकेज मानक नियत करने के लिए पिछले तीन वर्षों की अधिकतम खपत को लिया जाएगा और जहाँ कहीं ईआरसी द्वारा सलाह / निदेश दिया गया है उच्च पीएलएफ का प्रावधान किया जाएगा । तीन वर्षों के बाद आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता और साथ ही निर्देशात्मक अपेक्षाओं के संदर्भ में विद्युत संयंत्र द्वारा प्राप्त की गई दक्षता पर विचार करते हुए समीक्षा की जाएगी और तदनुसार एफएसए में एक धारा का उपबंध किया जाए ।
- (ii) धुले हुए कोयले के संबंध में समतुल्य कच्चे कोयले के संदर्भ में उष्मा दर के आधार पर खपत के मानक निर्धारित किए जाएं ।
- (iii) अधिकतम खपत निर्धारित करते समय, निर्देशात्मक आधार पर (कैलोरीफिक वैल्यू इत्यादि) आयातित कोयले की मात्रा को समतुल्य स्वदेशी कोयले में परिवर्तित करने के बाद घरेलू तथा आयातित कोयले को एक साथ लिया जाएगा ।
- (iv) पुनरुद्धार/नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/कार्यकाल विस्तार के अधीन संयंत्रों के लिए कोयले की खपत के मानक कोयला मंत्रालय द्वारा अलग से भेजे जाएंगे ।

उच्चतर दक्षता प्राप्त करने के बाद प्रत्येक यूटिलिटी भविष्य में अपनी खपत करने के लिए स्वतंत्र होगी अथवा अन्यथा मानदंडों में यथानिर्दिष्ट केवल अधिकतम लिकेज उपलब्ध कराया जाना है ।

(ख) नए विद्युत संयंत्र

- निर्देशात्मक कोयले की मांग 90% पीएलएफ के लिए हो ।
- सभी ग्रेड के कोयले के लिए 6% की अंतर्निहित नमी और 6% की ऊपरी नमी पर विचार किया जाएगा ।
- नए विद्युत संयंत्रों की विभिन्न आकार की इकाइयों के लिए निर्देशात्मक कोयला मांग निम्नानुसार होगी:

(टन / मेगावाट (औसत))

आकार	एसएचआर (किलो कैलोरी / केडब्लूएच)	पीएलएफ (%)	सकल कैलोरीफिक मान (किलो कैलोरी/किग्रा) की गणना करते हुए ग्रेडवार निर्देशात्मक कोयला मांग निम्नानुसार मानी गई है						
			ए ग्रेड 6402	बी ग्रेड 5995	सी ग्रेड 5594	डी ग्रेड 5040	ई ग्रेड 4462	एफ ग्रेड 3808	जी ग्रेड 3057
30 मेवा तक	3050	90	3996	4267	4572	5077	5733	6718	8367
30 मेवा से अधिक और 60 मेवा तक	2925	90	3833	4093	4386	4868	5498	6441	8025
60 मेवा से अधिक और 100 मेवा तक	2850	90	3733	3986	4273	4743	5358	6278	7819
100 मेवा से अधिक और 250 मेवा से कम	2550	90	3340	3568	3823	4243	4794	5616	6996
250 मेवा या और अधिक और 500 मेवा से कम	2500	90	3275	3497	3749	4161	4699	5505	6860
500 मेवा और अधिक और 600 मेवा तक	2450	90	3145	3357	3599	3995	4511	5286	6585
600 मेवा से अधिक	2300	90	3014	3218	3449	3828	4324	5066	6309

- क) महानदी कोयला क्षेत्रों से कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में एफ-श्रेणी के कोयले के लिए जीसीवी में अतिरिक्त 7% लोड किया जाए ।
- ख) ईसीएल राजमहल एवं जमात्रा क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में एफ-श्रेणी के कोयले के लिए जीसीवी में अतिरिक्त 20% लोड किया जाए ।
- ग) एनसीएल क्षेत्र में कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में 5% अतिरिक्त नमी का अतिरिक्त समायोजन।
2. इसे सचिव (विद्युत) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

हस्ता.-

(के.डी. यादव)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष: 23719710

कोयला मंत्रालय

(श्री ए.के. ज्योतिषी, निदेशक)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

- श्री एस. शेषाद्रि, मुख्य अभियंता, सीईए, सेवा भवन, नई दिल्ली
श्री एस.एच. खान, मुख्य अभियंता, सीईए, सेवा भवन, नई दिल्ली
निदेशक (ओएम), विद्युत मंत्रालय ।